

59

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष:-श्री एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 29-चार/1997 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 05-11-1993 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 237/1992-93/अपील

-
- 1- गुणाकर
 - 2- हरनारयण पुत्रगण द्वारिकाप्रसाद
निवासी -ग्राम विरगंवा पावई, परगना व
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

महिला चन्द्रावती पत्नी जगदीश
निवासी-ग्राम वसैयामाता, तहसील
व जिला-मुरैना (म०प्र०)

.....अनावेदक

.....
श्री एस०के० अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....
आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-11-1993 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम पावई परगना व जिला-भिण्ड स्थित विवादित भूमि खाता क्रमांक 275 के आराजी नं० 248 रकबा 0.094, 285 रकबा 0.094, 288 रकबा 0.704, 289 रकबा 0.146 उऔर 290 रकबा 0.700, 1097 रकबा 0.0376, 1097/2 रकबा 0.564 कित्ता 7 रकबा 4.387 में हिस्सा 1/3 के गोपीराम पुत्र मेहरबान के नाम थी। उक्त विवादित भूमि गोपीराम के स्वत्व की भूमि थी, एवं गोपीराम उक्त भूमि के भूमिस्वामी थे।





गोपीराम की मृत्यु के पश्चात अनावेदिका चन्द्रावती पत्नी जगदीश पाठक पुत्री मेहरबान सिंह द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरण वारिसान हक पर करने बावत् एक आवेदन पत्र ग्राम के पटवारी को प्रस्तुत किया। प्रकरण नामांतरण पंजी क्रमांक 4 दिनांक 22.01.93 पर किया जाकर इशतहार का प्रकाशन कराया गया। आपत्ति मांगवाई गई, किन्तु कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त पीपरी द्वारा अपने दिनांक 24.02.93 को वारिसान के आधार पर प्रामाणित किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में आवेदकगण ने वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि के नामांतरण की मांग स्वयं के हित में करने हेतु मांग की गई। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने विधिवत प्रकरण क्रमांक 49/92-93/अपील माल पर दर्ज किया तथा पारित आदेश दिनांक 22.06.93 से राजस्व निरीक्षक वृत्त पीपरी द्वारा पारित आदेश को उचित मानते हुये, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.93 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई। जहाँ विधिवत प्रकरण क्रमांक 237/1992-93/अपील पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 05.11.1993 को आदेश पारित कर प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।


3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में इशतहार का विधिवत प्रकाशन नहीं किया गया है। वर्तमान प्रकरण में धारा 110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अधीन बने नियम 27 का पालन नहीं किया गया है, न ही प्रकरण में विधिवत उद्घोषणा ही जारी की गई और न ही हितबद्ध पक्षकारों को ही व्यक्तिगत सूचना दी गई जो अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने इशतहार का प्रकाशन नियमानुसार होना न मानते अपील को निरस्त किया है ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अनावेदिका मृतक की वारिस है के क्रम में विधिवत जांच नहीं की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सह-भूमिस्वामी को व्यक्तिगत सूचना दिया जाना अत्यंत आवश्यक व अनिवार्य होता है। आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील को वसियतनामा प्रस्तुत किया गया है। वसीयतनामा का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि मूल वसीयतनामा चाहिये था तो आवेदकगण से मांगा जाना चाहिये




था। अपील अथवा निगरानी के न्यायालय में मूल वसीयतनामा प्रस्तुत किये जाने का कोई कारण न था। वसीयतनामों के सम्बन्ध में शंका को स्थान दिये बिना जांच के न्यायोचित नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदिका चन्द्रावती द्वारा वादग्रस्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र मौजा पटवारी को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 22.01.93 को इशतहार जारी किया गया। इशतहार के प्रकाशन की तामीली दिनांक 27.01.93 को हुई और प्रविष्टि का प्रमाणीकरण दिनांक 24.02.93 को राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया। इशतहार में 30 दिवस की अवधि में आपत्ति आदि प्रस्तुत करने का समय भी दिया गया है। इशतहार का प्रकाशन सम्बन्धित ग्राम की चौपाल तथा तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा द्वारा किया गया है। इशतहार के पृष्ठ भाग पर कोटवारा द्वारा ग्राम में मुनादी कराने का पृष्ठांकन भी अंकित है। इशतहार में यह भी पृष्ठांकित है कि इशतहार की प्रति ग्राम पंचायत को दी गई। इशतहार में सम्बन्धित न्यायालय में प्रविष्टि के प्रमाणीकरण के स्थान पर एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि नियमानुसार इस प्रकार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रकरण में ऐसा प्रमाण भी नहीं है जिससे यह पुष्टि हो कि नामांतरण की कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम में दिनांक 24.02.93 को नहीं की गई हो। अतः प्रकरण में इशतहार का प्रकाशन विधिवत हुआ है। प्रकरण में आवेदकगण द्वारा आपत्ति न्यायालय तहसीलदार, भिण्ड में दिनांक 27.02.93 को प्रस्तुत की गई है जबकि नामांतरण में प्रविष्टि का प्रमाणीकरण दिनांक 24.02.93 को हुआ है। प्रकरण में अनावेदिका द्वारा एक पंचनामा राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उक्त पंचनामे में मृतक भूमिस्वामी गोपीराम की वारिस उनकी बहिन चन्द्रावती को होना बतलाया गया है तथा अनावेदिका चन्द्रावती के अलावा अन्य मृतक का कोई वारिस नहीं होने का उल्लेख किया गया है।






6/ प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई है। मेरे मतानुसार वर्तमान प्रकरण में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि मृतक भूमिस्वामी गोपीराम के भूमि स्वामी स्वत्व में अंकित थी, हालांकि उक्त भूमि पर सह-भूमिस्वामियों के नाम भी अंकित है किन्तु प्रश्नाधीन नामांतरण से उनके स्वत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के न्यायालय में एक अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.07.91 की छायाप्रति अपील में के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त वसीयत द्वारा आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि का वारिस घोषित किया गया है। वसीयत की मूल प्रति के प्रस्तुत न होने के कारण उक्त अपंजीकृत वसीयतनामा मान्य किया जाना अवैधानिक होगा। इसके अतिरिक्त वसीयत लिखे जाने के दो वर्ष तक इसका प्रस्तुतीकरण न होना भी वसीयत को शंका की परिधि में लाता है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखा गया है। मैं अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के द्वारा पातिर आदेश दिनांक 22.06.93 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 05.11.93 विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

P. J. S.


(एम०के० सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर